

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस**

**प्रकरण सं० : 63/2021**

1. नवीन कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।

**:- वादी**

**ब नाम**

1. नत्थूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
4. रोशनी पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**:- प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरेन्द्र मील की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 44/41 के मु० न० 9 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 10 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 16 ता 25, मु० न० 11 किला न० 18 ता 23, मु० न० 19 किला न० 1 ता 3, मु० न० 20 किला न० 1 ता 5, मु० न० 21 किला न० 2 ता 5, 8, 9, 12 कुल 14.4210 है० जिसमें नहरी 13.8960 है० गै० मु० रास्ता 0.2250 है०, गै० मु० खाला 0.3000 है० वारानी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 नत्थूराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं० 1 नत्थूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी नवीन कुमार व प्रतिवादी सं० 2 रमेश कुमार व प्रतिवादी सं० 3 सुरेश कुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूकि प्रतिवादी सं० 1 व 4 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



**सहायक कलक्टर  
(फास्ट-ट्रैक) भादरा**

**R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़**

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं० : 63/2021

1. नवीन कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।

:- वादी

ब न अ ग

1. नत्थूराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
3. सुरेश कुमार पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
4. रोशनी पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी रामगढिया त० भादरा।
5. आईसीआईसीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राज० सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरेन्द्र मील: प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक : 23/07/21



संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं० 44/41 के मु० न० 9 के किला न० 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु० न० 10 किला न० 1, 2, 9 ता 12, 16 ता 25, मु० न० 11 किला न० 18 ता 23, मु० न० 19 किला न० 1 ता 3, मु० न० 20 किला न० 1 ता 5, मु० न० 21 किला न० 2 ता 5, 8, 9, 12 कुल 14.4210 है० जिसमें नहरी 13.8960 है० गै० मु० रास्ता 0.2250 है०, गै० मु० खाला 0.3000 है० बारांनी खातेदारी प्रतिवादी सं० 1 नत्थूराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा नन्दराम की खातेदारी हुआ करती थी। नन्दराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं० 1 नत्थूराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एवं प्रतिवादगण हिन्दू हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाऊ बनाकर सुधार करना चाहते हैं जिसके लिए उन्हें केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं० 5 व

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रैक)

6 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 नवीन कुमार पुत्र नत्थूराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2072-75 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2016 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 9 जेजीडब्ल्यू संवत 2073-76 प्रदर्श 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रामगडिया प्रदर्श 5 करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही 10 जेजीडब्ल्यू के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2072-75 प्रदर्श 1, जमाबंदी चक 10 जेजीडब्ल्यू संवत 2016 प्रदर्श 2, जमाबंदी चक 9 जेजीडब्ल्यू संवत 2073-76 प्रदर्श 3 व 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रामगडिया प्रदर्श 5 करवाये। जिसमें प्रदर्श 5 वारिस प्रमाण के अनुसार नत्थूराम के तीन पुत्र नवीन कुमार, सुरेश कुमार, रमेश कुमार व एक पुत्री रोशनी तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं 0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं 0 1 व 4 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं 0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पत्ति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।


### कियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेजीडब्ल्यू के खाता सं 0 44/41 के मु 0 न 0 9 के किला न 0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु 0 न 0 10 किला न 0 1, 2, 9 ता 12, 16 ता 25, मु 0 न 0 11 किला न 0 18 ता 23, मु 0 न 0 19 किला न 0 1 ता 3, मु 0 न 0 20 किला न 0 1 ता 5, मु 0 न 0 21 किला न 0 2 ता 5, 8, 9, 12 कुल 14.4210 है 0 जिसमें नहरी 13.8960 है 0 गै 0 मु 0 रास्ता 0.2250 है 0, गै 0 मु 0 खाला 0.3000 है 0 वाराणी खातेदारी प्रतिवादी सं 0 1 नत्थूराम के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 0 1 नत्थूराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी नवीन कुमार व प्रतिवादी सं 0 2 रमेश कुमार व प्रतिवादी सं 0 3 सुरेश कुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार अशतकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं 0 1 व 4 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं 0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया

है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/04/21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(सहायक कलेक्टर)  
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.  
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रेक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़